



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II— Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 528]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 650(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामनिर्देशन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन की घोषणा) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) अभिप्रेत है ;

(ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में क्रमशः हैं।

3. धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति – (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले आयोग के अंशकालिक सदस्यों का आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों से लॉटों के ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा।

- (3) लॉटों का ड्रॉ ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, दो प्रवर्गों में संचालित किया जाएगा।
- (4) लॉटों के ड्रॉ प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के व्यष्टिक नामों का उल्लेख करने वाले एक समान आकार, रंग और डिजाइन की पेपर की पर्चियों के साथ संचालित किया जाएगा, जो ऐसी रीति में मुड़ी हुई होंगी जिससे कि उनकी गोपनीयता को परिरक्षित रखा जा सके।
- (5) लॉटों के ड्रॉ का द्वितीय प्रवर्ग धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों से नौ अंशकालिक सदस्यों के लिए संचालित किया जाएगा :
- (6) लॉटों के ड्रॉ का प्रथम प्रवर्ग धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य चिकित्सा सलाहकार परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से दस अंशकालिक सदस्यों के लिए संचालित किया जाएगा।
- परंतु अधिकतम राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, जिनके नामनिर्देशितियों प्रथम वर्ग के लिए आयोजित लॉटों के ड्रॉ से चयनित किए गए थे, द्वितीय प्रवर्ग के लिए आयोजित किए जाने वाले लॉटों के ड्रॉ में अपवर्जित किए जाएंगे।
- (7) पेपर पर्ची की कुल संख्या राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की कुल संख्या के इस बात को ध्यान में न रखते हुए तत्समान होगी कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र क्रमशः धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड) के अधीन विधिमान्य नामनिर्देशन रखते हैं या नहीं।
- (8) उपनियम (5) और उपनियम (6) में यथा उल्लिखित लॉटों के ड्रॉ के दौरान, किसी दिए हुए प्रवर्ग में सभी सदस्यों के बारे में विनिश्चय किए जाने तक एक पेपर पर्ची एक बार में उठायी जाएगी।
- (9) जहां पेपर पर्ची ऐसे किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए उठायी जाती है जिसके पास सम्बन्धित प्रवर्ग में नामनिर्देशितियों नहीं हैं, वहां पेपर पर्ची विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लॉटों के ड्रॉ के पूर्ण हो जाने तक अलग रख दी जाएगी और जब द्वितीय प्रवर्ग के लिए लॉटों का ड्रॉ आरंभ होता है तब इसे वापस रख दिया जाएगा।
- (10) दो वर्षों की प्रथम अवधि के पश्चात्, लॉटों का प्रत्येक ड्रॉ दो प्रक्रमों में, पहला उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से, जो पूर्व अवधि के दौरान, इस नियम के अनुसार आयोग के सदस्यों के चयन के लिए और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और वेतन तथा भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अध्यक्ष और सदस्यों की आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन की घोषणा) नियम, 2019 के अनुसार, स्वायत्त बोर्डों के चौथे सदस्य के चयन के लिए आयोजित लॉटों के ड्रॉ में चयनित नहीं किए गए थे, निकाले जाने वाले उपनियम (5) और उपनियम (6) में निर्दिष्ट दो प्रवर्गों के लिए लॉटों के ड्रॉ द्वारा निर्बंधित किया गया था।
- (11) ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, जिनके लिए सदस्यों का पूर्व अवधि के लिए चयन नहीं किया गया था, के संबंध में उपनियम (10) में यथा निर्दिष्ट लॉटों के निर्बंधित ड्रॉ के माध्यम से ऐसी संख्या में नामनिर्देशितियों का चयन कर लिए जाने के पश्चात्, उपनियम (5) और उपनियम (6) में निर्दिष्ट दो प्रवर्गों के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों के लिए शेष नामनिर्देशितियों का क्रमशः लॉटों के ड्रॉ द्वारा शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से किया जाएगा।
- (12) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक बार में आयोग में एक से अधिक नामनिर्देशितियों द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (13) लॉटों का ड्रॉ, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।
- (14) लॉटों के ड्रॉ की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और लॉटों के ड्रॉ से संबंधित सभी अभिलेख जनता की पहुंच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर छह मास की अवधि के लिए रखे जाएंगे।
- (15) लॉटों के ड्रॉ की प्रक्रिया के दौरान, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, मीडिया कार्मिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
- (16) जहां लॉटों के ड्रॉ के माध्यम से चयन किए गए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के नामनिर्देशितियों की अवधि किसी कारणवश कम करके दो वर्ष कर दी जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर शेष अवधि के लिए उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अन्य नाम निरदेशितियों की नियुक्ति करेगी।

(17) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से नामनिर्देशितियों में से आयोग के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लॉटों का ड्रॉ निरंतर प्रत्येक दो वर्ष में संचालित किया जाएगा।

4. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति हेतु धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन – (1) केन्द्रीय सरकार, दो वर्ष की अवधि के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति का भागरूप होने के लिए किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ का चयन धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के अंशकालिक सदस्यों में से लॉटों के ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

(3) लॉटों का ड्रॉ धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रत्येक अंशकालिक सदस्य के नाम का उल्लेख करने वाला एक समान आकार, रंग और डिजाइन की पेपर की पर्चियों के साथ संचालित किया जाएगा, जो ऐसी रीति में मुड़ी हुई होंगी जिससे कि उसकी गोपनीयता को परिरक्षित रखा जा सके।

(4) इस नियम के अधीन लॉटों के ड्रॉ नियम 3 के उपनियम (13), उपनियम (14), उपनियम (15), उपनियम (16) और उपनियम (17) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का, आवश्यक परिवर्तनों सहित, अनुसरण करते हुए संचालित किया जाएगा।

5. आयोग के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते – (1) आयोग के अध्यक्ष का वेतन, वेतन मैट्रिक्स (2,25,000 रुपए) के स्तर 17 में भारत सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा :

परंतु जहां आयोग का अध्यक्ष सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुआ है, वहां उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत फायदों का पेंशनिक मूल्य या दोनों के साथ संदेय वेतन अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि आयोग का अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है तो उसके वेतन और भत्ते, जो भी अधिक हो, उसको लागू नियमों या उपनियम (1) के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

6. महंगाई भत्ता – (1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को उनके वेतन के मद्दे विनियोजित अनुज्ञेय दरों पर महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का महंगाई भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

7. यात्रा भत्ता – (1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय उनके वेतन के मद्दे विनियोजित दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का यात्रा भत्ता, मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित अपने बिलों के संबंध में स्वयं ही नियंत्रण अधिकारी होगा।

8. छुट्टी – आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य निम्नलिखित के लिए हकदार होगा –

(क) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के सेवकों को यथा अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी; और

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन स्थायी केन्द्रीय सरकार के सेवकों को यथा अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

9. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी – (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2) अध्यक्ष, आयोग के प्रत्येक अन्य सदस्य, जिसके अंतर्गत उसका अपना सचिव भी है, को छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा।

10. अभिदायी भविष्य निधि – (1) आयोग का अध्यक्ष, अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा वहां शासित होगा, जहां सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन प्रतिश्रुत करने का कोई विकल्प नहीं है।

(2) आयोग का अध्यक्ष, आयोग में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान का हकदार नहीं होगा।

11. बैठक फीस – आयोग के पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य, आयोग की प्रत्येक बैठक के लिए पांच हजार रुपए की बैठक फीस के हकदार होंगे।

12. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन या आवेष्टन की घोषणा – (1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप 'क' में आस्तियों और दायित्वों की विवरणी फाइल करेगा।

(2) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपनी प्रथम नियुक्ति पर और पद का त्याग करने के समय पर उक्त अनुसूची के प्ररूप 'ख' में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन या आवेष्टन की भी घोषणा करेगा।

13. आयोग का सचिव – (1) आयोग के सचिव को संदेय वेतन, वेतन मैट्रिक्स (1,82,200-2,24,100 रुपए) के स्तर 15 में भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन के समतुल्य होगा :

परंतु जहां आयोग का सचिव सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुआ है, वहां उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत फायदों का पेंशनिक मूल्य या दोनों के साथ संदेय वेतन अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) आयोग के सचिव के पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव होगा, अर्थात् :-

आवश्यक :

(i) किसी विश्वविद्यालय से किसी विधा में स्नातकोत्तर उपाधि ;

(ii) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त संगठन या संस्था में वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रुपए) के स्तर 12 में या उसके समतुल्य अपनी संबंधित सेवा या वृत्ति में कम से कम पंद्रह वर्ष या उससे अधिक रखता हो, जिसमें इसके साथ कम से कम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी हो ;

वांछनीय :

(iii) चिकित्सा अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

14. आयोग के सचिव की पदावधि – आयोग का सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, जो भी पहले हो, पद धारण नहीं करेगा।

15. सचिव की आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन या आवेष्टन की घोषणा – (1) आयोग का सचिव इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप 'क' में आस्तियों और दायित्वों की विवरणी फाइल करेगा।

(2) आयोग का सचिव अपनी प्रथम नियुक्ति पर और कार्यालय का त्याग करने के समय पर उक्त अनुसूची के प्ररूप 'ख' में अपनी आस्तियों, वृत्तिक और वाणिज्यिक विनियोजन या आवेष्टन की भी घोषणा करेगा।

16. आयोग की अन्य शक्तियां और कृत्य – (1) आयोग, धारा 10 में विनिर्दिष्ट आयोग की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त,-

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा का खर्च कम करने के लिए अध्ययन करेगा ;

(ख) चिकित्सा शिक्षा के खर्च में कमी करने और इसे अधिक सुगम्य बनाने की दृष्टि से आधुनिक प्रौद्योगिकी का अंगीकरण, अवसंरचना का गहन उपयोग, संकाय साझाकरण, वैश्विक पद्धतियों यथा वितरित अस्पतालों का, अन्य बातों के साथ-साथ, सुझाव देने पर विचार करेगा ; और

(ग) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की रीति का विनिश्चय करेगा :

परंतु जहां अपील स्वायत्त बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध की जाती है, वहां ऐसे स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अपील कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ;

(घ) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन परिकल्पित पूर्व प्रकाशनों के शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव बिना, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और अन्य पणधारियों, जैसे-चिकित्सा व्यवसायियों के संगम, निवासी चिकित्सकों का संगम, रोगी संबंधी अधिकार निकायों से, जिनके अंतर्गत साधारण जनता भी है, तीस दिन की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप विनियमों को डालकर और ऐसे आक्षेपों या सुझावों, जो प्राप्त किए जाएं, पर विचार करके, से परामर्श करने के पश्चात् विनियम बनाएगा :

(ङ) अपनी अपेक्षा के अनुसार, संविदा आधार पर कर्मचारियों की भर्ती, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् की वर्तमान स्वीकृत संख्या से अधिक न हो, तब तक नहीं करेगा, जब तक कि आयोग के लिए पद स्वीकृत नहीं कर दिए जाते हैं और उक्त पदों के लिए नियमित भर्ती नहीं हो जाती है ।

17. भारतीय चिकित्सा परिषद् के कर्मचारियों के नियोजन का समयपूर्व सेवा पर्यावसान के लिए प्रतिकर - (1) आयोग, तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद् के कर्मचारियों के समयपूर्व पर्यावसान प्रतिकर पर आयोग के गठन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विनिश्चय करेगा ।

(2) तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद् के ऐसे कर्मचारियों को, जो आयोग द्वारा संविदा आधार पर नियोजन के लिए नहीं रखे जाते हैं, पर्यावसान के समय तीन मास के वेतन के समतुल्य अग्रिम रकम का संदाय किया जाएगा जिसकी कुल प्रतिकर पैकेज से कटौती कर ली जाएगी ।

अनुसूची

प्रपत्र क

[नियम 12 (1) और नियम 15 (1) देखें]

परिसम्पत्ति और दायित्व की घोषणा

क. अध्यक्ष / सदस्य / सचिव की परिसम्पत्तियां और दायित्व

1. नाम (ब्लॉक अक्षरों में)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
5. नियुक्ति / नामांकन की तिथि

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है। यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि सदस्य के नाम नहीं है, तो बतायें किसके नाम है और उसका सदस्य से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान / बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

III. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों / केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति सदस्य की देनदारियों का विवरण

(1) बैंकों / कंपनी / वित्तीय संस्थानों / केन्द्रीय / राज्य सरकारों से लिये गये ऋण का विवरण

(2) प्रत्येक मामले में लिये गये ऋण की राशि

(3) प्रत्येक मामले में लिये गये ऋण की अवधि

ख. पति या पत्नी द्वारा धारित चल और अचल सम्पत्तियों से संबंधित सूचना

1. नाम (ब्लॉक अक्षरों में)

2. पिता / पति का नाम

3. स्थायी पता

4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

II.

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है। यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि सदस्य के नाम नहीं है, तो बनायें किसके नाम है और उसका सदस्य से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान / बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

(7) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग

(8) अन्य कोई संगतपूर्ण सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

ग. आश्रित बच्चों द्वारा धारित चल और अचल सम्पत्तियों से संबंधित सूचना

1. आश्रित बच्चे/बच्चों का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है।

यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि बच्चे के नाम नहीं है, तो बतायें किसके नाम है और उसका बच्चे से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान / बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

(7) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग

(8) अन्य कोई संगतपूर्ण सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

घोषणा

मैं, _____ एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

ऊपर दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में, मैं उसकी सूचना देने का वचन देता/देती हूँ।

भवदीय,

दिनांक :

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

प्रपत्र - ख

[नियम 12 (2) और नियम 15 (2) देखें]

प्रथम नियुक्ति और पद त्याग के समय व्यावसायिक और वाणिज्यिक पेशों से संबंधित विवरण

क्र.सं.	संबंध	नाम	घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित व्यावसायिक पद, यदि कोई हो	घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित वाणिज्यिक पद, यदि कोई हो
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित -1			
4	आश्रित -2			
5. *	आश्रित -3			

* यदि आवश्यक हो, तो पंक्तियों को जोड़ें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक :

[सं.वी.11012/13/2019-एमईपी]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2019

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d) (e), (f), (g), (h) and (q) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);
- (b) “Commission” means the National Medical Commission constituted under section 3 of the Act;
- (c) “section” means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of appointment of part-time Members of Commission under clauses (b) and (c) of sub-section (4) of section 4.— (1) The Members shall be appointed by the Central Government for a period of two years.

(2) The part-time Members of the Commission to be appointed under clauses (b) and (c) of sub-section (4) of section 4 shall be selected by draw of lots from the nominees of States and Union territories in the Medical Advisory Council.

(3) The draw of lots shall be conducted in two categories on such date as may be decided by the Central Government.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The first category of the draw of lots shall be conducted for ten part-time Members from the nominees of States and Union territories amongst the Members of the Medical Advisory Council, nominated under clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 11.

(6) The second category of the draw of lots shall be conducted for nine part-time Members from the nominees of States and Union territories by the respective State Medical Council amongst the elected Members of the State Medical Council, nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 11:

Provided that for the purposes of ensuring representation of maximum States and Union territories, the States and Union territories whose nominees were selected from the draw of lots held for the first category shall be excluded in the draw of lots to be held for the second category.

(7) The total number of paper slips shall correspond to the total number of States and Union territories, irrespective of whether a State or Union territory has valid nomination under clauses (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 11, respectively.

(8) During the draw of lots as mentioned in sub-rules (5) and (6), one paper slip shall be picked up at a time till all Members are decided in a given category.

(9) Where a paper slip is picked up for a State or Union territory, which does not have a nominee in the respective category, the paper slip shall be kept aside till the draw of lots for the particular category is completed and it shall be put back when the draw of lots for the second category commences.

(10) Every draw of lots subsequent to the first term of two years shall be conducted in two stages, first by a restricted draw of lots for the two categories referred to in sub-rules (5) and (6) to be drawn from among those States and Union

territories, which were not selected in the draw of lots held for selection of the Members of the Commission in accordance with this rule and for selection of the fourth Member of Autonomous Boards in accordance with the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019, during the previous term.

(11) After such number of nominees have been selected through the restricted draw of lots as referred to in sub-rule (10) in respect of the States and Union territories for which Members were not selected for the previous term, the remaining nominees for part-time Members of the Commission under the two categories referred to in sub-rules (5) and (6) shall be selected from amongst the rest of the States and Union territories by draw of lots, respectively.

(12) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(13) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Minister of Health and Family Welfare.

(14) The video recording of the entire process of draw of lots shall be made and all records relating to the draw of lots shall be kept for a period of six months on the website of the Ministry of Health and Family Welfare for public access.

(15) For the purpose of maintaining transparency during the process of draw of lots, media personnel shall be invited.

(16) Where the term of a nominee of a State or Union territory selected through draw of lots is reduced for any reason to less than two years, the Central Government shall appoint other nominee of the same State or Union territory for the remaining period on the basis of nomination by the concerned State or Union territory or the State Medical Council, as the case may be.

(17) The draw of lots to nominate Members of the Commission from among the nominees from the States and Union territories shall be conducted every consecutive two years.

4. Nomination of an expert under clause (c) of sub-section (1) of section 5 for Search Committee for appointment of Chairperson and Members of Commission.—(1) The Central Government shall appoint an expert to form part of the Search Committee for appointment of Chairperson and Members of Commission for a period of two years.

(2) The expert referred to in sub-rule (1) shall be selected by draw of lots from amongst the part-time Members of the Commission appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 4.

(3) The draw of lots shall be conducted with the paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each part-time Member of the Commission appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 4, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(4) The draw of lots under this rule shall be conducted following the procedure, *mutatis mutandis*, as specified under sub-rules (13), (14), (15), (16) and (17) of rule 3.

5. Salaries and allowances payable to Chairperson of Commission.—(1) The salary payable to the Chairperson of the Commission shall be equivalent to the salary of the Secretary to the Government of India in Level-17 in the pay matrix (Rs. 225000/-):

Provided that where the Chairperson of the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the Chairperson of the Commission is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

6. Dearness allowance.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission, shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The dearness allowance of *ex-officio* Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

7. Travelling allowance.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The travelling allowance of *ex-officio* Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

(3) The Chairperson and every Member of the Commission shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

8. Leave.—The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

9. Leave sanctioning authority.—(1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Chairperson shall be the authority to sanction leave to every other Member of the Commission including its Secretary.

10. Contributory Provident Fund.—(1) The Chairperson of the Commission shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The Chairperson of the Commission shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in the Commission.

11. Sitting fee.—The *ex-officio* Members and part-time Members of the Commission shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission.

12. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Chairperson and Members of Commission.—(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall file return of assets and liabilities in Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Chairperson and every other Member of the Commission shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

13. Secretary to Commission.—(1) The salary payable to the Secretary to the Commission shall be equivalent to the salary of Additional Secretary to the Government of India in Level 15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-).

Provided that where the Secretary to the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) The Secretary to the Commission shall possess the following qualifications and experience, namely:—

Essential:

(i) post-graduate degree in any discipline from any University;

(ii) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognized organisation or institution of not less than fifteen years in his related service or profession in Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200/-) or equivalent thereto or above along with administrative experience of not less than ten years;

Desirable:

(iii) preference may be given to persons having medical qualification.

14. Term of office of Secretary to Commission.—The Secretary to the Commission shall hold office for a term of four years and shall cease to hold office after attaining the age of seventy years, whichever is earlier.

15. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Secretary.—(1)The Secretary of the Commission shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Secretary of the Commission shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

16. Other powers and functions of Commission.—In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10, the Commission shall—

- (a) undertake study to reduce the cost of medical education in the country;
- (b) consider to suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, global practices as distributed hospitals with a view to reducing the cost of medical education and making it more accessible; and
- (c) decide the manner of hearing appeals against the decisions of Autonomous Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of an Autonomous Board, the President of such Autonomous Board shall not participate in the appeal proceedings;

- (d) without prejudice to the condition of previous publication envisaged under sub-section (1) of section 57, make regulations after consulting all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as, association of medical professionals, association of resident doctors and patient rights bodies including general public by placing the draft regulations on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received;
- (e) recruit employees on contract basis as per its requirement, not exceeding the present sanctioned strength of the Medical Council of India, until the posts are sanctioned for the Commission and regular recruitment for the said posts takes place.

17. Compensation for the premature termination of employment of employees of Medical Council of India.— (1) The Commission shall decide on the premature termination compensation of the employees of the erstwhile Medical Council of India within a period of three months from the date of constitution of the Commission.

(2) The employees of erstwhile Medical Council of India who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid an advance amount of equivalent to three months' salary at the time of termination, which shall be deducted from the total compensation package.

SCHEDULE

Form A

[See rule 12 (1) and rule 15 (1)]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

A. ASSETS AND LIABILITIES OF CHAIRPERSON/MEMBER/SECRETARY

1. Name (*in block letters*)
2. Father's/Husband's name

3. Permanent address
 4. Present address
 5. Date of appointment/nomination
- I.** Details of immovable property
- (1) Name of the State, District, Sub-division and village in which property is situated.
 - (2) Details of property
 - (a) House and buildings and their present value
 - (b) Lands and their present value
 - (3) Whether held as owner or beneficiary
 - (4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with another person share of property held
 - (5) If not held in Member's own name, state in whose name held and his/her relationship with the Member
 - (6) How acquired
(*whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired*)
 - (7) Any other relevant information which the Member may like to mention
- II.** Details of movable property
- (1) Description of the property (*i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/companies/financial institutions/insurance policies, etc.*)
 - (2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary
 - (3) Mode of acquisition
(*purchase/gift/mortgage lease or otherwise*)
 - (4) Purchase price of the property
 - (5) In case of purchase, source or sources from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources

- (6) Any other relevant information which the member may like to furnish

III. Details of Liabilities of the Member to public Financial Institutions/Central Government and State Government

- (1) Details of loans raised from Banks/ Companies/Financial Institutions/Central/ State Governments
- (2) Amount of loans raised in each case
- (3) The period for which these loans were raised in each case.

B. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY SPOUSE

1. Name of the spouse
(*in block letters*)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent Address
4. Present Address

I. Details of immovable property

- (1) Name of State, District, Sub-division and village in which property is situated
- (2) Details of property
- (a) House and buildings and their present value
- (b) Lands and their present value
- (3) Whether held as owner or beneficiary
- (4) Whether held jointly or severally.
If property held jointly with Member, share of property held
- (5) If not held in spouse's own name, State
In whose name held and his/her relationship with the spouse
- (6) How acquired
(*whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired*).
- (7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

- (1) Description of the property
(i.e. car/motorcycle/jewellery/investments in banks/stock markets/companies/ financial institutions/insurance policies, etc.)
- (2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary
- (3) Mode of acquisition
(purchase/gift/mortgage lease or otherwise)
- (4) Purchase price of the property
- (5) In case of purchase, source or sources or sources from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources
- (6) Whether held as owner or beneficiary
- (7) Whether held jointly or severally
- (8) Any other relevant information which the Member may like to furnish

C. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY DEPENDENT CHILDREN

1. Name of the dependent children
(in block letters)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent Address
4. Present Address

I. Details of immovable property

- (1) Name of State, District, Sub-division and village in which property situated
- (2) Details of property
 - (a) House and buildings and their present value
 - (b) Lands and their present value
- (3) Whether held as owner or beneficiary
- (4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with Member, share of property held

- (5) If not held in the child's own name, state in whose name held and his/her relationship with the child
- (6) How acquired
(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)
- (7) Any other relevant information which the Member may like to mention

II. Details of movable property

- (1) Description of property
(i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/ companies/financial institutions/ insurance policies, etc.)
- (2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary
- (3) Mode of acquisition
(purchase/gift/mortgage/lease or otherwise)
- (4) Purchase price of the property
- (5) In case of purchase, source or sources from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources
- (6) Whether held as owner or beneficiary
- (7) Whether held jointly or severally
- (8) Any other relevant information which the member may like to furnish

DECLARATION

I, _____ hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the same.

Yours faithfully,

Date:

Signature/thumb impression

Form B

[See rule 12 (2) and rule 15 (2)]

Statement of professional and commercial engagements or involvement
on first appointment and at the time of demitting office

Sl.No	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if any	Commercial engagements/involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date:

Signature/thumb impression

[No. V.11012/13/2019-MEP]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.